

# कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली

क्रमांक— आदेश/रिमाण्ड/ ०८

दिनांक 27.02.2024

## —:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय—आदेश ::—

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—14 सपठित धारा—15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निखिल सिंह, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली आदेश पारित करता हूँ कि माह मार्च 2024 में पड़ने वाले अवकाश के दिनों में करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या—2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:—

### माह मार्च— 2024

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	ड्यूटी की दिनांक
1	02	03	04
1	श्री रविन्द्र कुमार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिंडौनसिटी	03 मार्च 2024
2	डॉ नीलम सुलभ जैन RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सफोटरा	08, 09 व 10 मार्च 2024
3	श्रीमती भानुप्रिया सेहरा RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	17 मार्च 2024
4	श्री अनिल पारवानी RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी	23, 24 व 25 मार्च 2024
5	श्री विनीत कुमार मीना RJS	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	29 व 31 मार्च 2024

### निर्देश:—

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आक्रिमक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

Sd/-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली

दिनांक:—27.02.2024

क्रमांक— १२६४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. संबंधित अधिकारी सर्व श्री
4. सर्वस्तम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की बेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
5. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
6. आदेश पत्रावली / नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली